

**अधिसूचना सं. 03 से 06/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 का स्पष्टीकारक  
जापन**

क्र.सं.	अधिसूचना संख्यांक	विषय
1.	03/2017-सीमाशुल्क	अधिसूचना सं0 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 का और संशोधन करने के लिए है ।
2.	04/2017-सीमाशुल्क	अधिसूचना सं0 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि उसमें विनिर्दिष्ट मदों के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क की अतिरिक्त शुल्क की दर को विनिर्दिष्ट किया जा सके ।
3.	05/2017-सीमाशुल्क	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित मशीनरी के सभी मदों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10/7.5% से 5% कम करने के लिए है :- (क) विद्युत के उत्पादन के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली के आरंभिक स्थापन के लिए या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए और (ख) बायोगैस या बायोमीथेन या हाइड्रोजन के उपोत्पाद पर प्रचालित प्रणाली के संतुलन के लिए ।
4.	06/2017-सीमाशुल्क	अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 का और संशोधन करने के लिए है जिससे बजटकारी परिवर्तनों को किया जा सके । विवरण संयुक्त सचिव (टीआरयू-1) के तारीख 31 जनवरी, 2017 के अर्धशासकीय पत्र में अंतर्विष्ट हैं ।

**अधिसूचना सं. 03 से 07/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 2 फरवरी, 2017 का  
स्पष्टीकारक जापन**

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	03/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	अधिसूचना सं0 6/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2005 का और संशोधन करने के लिए है जिससे बजटकारी परिवर्तनों को किया जा सके ।
2.	04/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	अधिसूचना सं0 42/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 जुलाई, 2008 का और संशोधन करने के लिए है है जिससे बजटकारी परिवर्तनों को किया जा सके ।
3.	05/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित मशीनरी के सभी मदों पर रियायती उत्पाद-शुल्क/समतुल्य शुल्क 6% विहित करने के लिए है :- (क) विद्युत के उत्पादन के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली के आरंभिक स्थापन के लिए

		या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए और (ख) बायोगैस या बायोमीथेन या हाइड्रोजन के उपोत्पाद पर प्रचालित प्रणाली के संतुलन के लिए ।
4.	06/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	अधिसूचना सं० 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 का संशोधन करने के लिए है जिससे बजटकारी परिवर्तनों को किया जा सके ।
5.	07/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	अधिसूचना सं० 16/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 27 फरवरी, 2010 का संशोधन करने के लिए है जिससे बजटकारी परिवर्तनों को किया जा सके ।

**अधिसूचना सं. 02 से 05/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 2 फरवरी, 2017 का स्पष्टीकारक ज्ञापन**

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	02/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)	अधिसूचना सं० 30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 1 जुलाई, 2008 का संशोधन करने के लिए है ।
2.	03/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)	अधिसूचना सं० 11/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 27 फरवरी, 2010 का संशोधन करने के लिए है ।
3.	04/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए है ।
4.	05/2017 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए है ।

**अधिसूचना सं० 07/2017-सेवा कर, तारीख 2 फरवरी, 2017 का स्पष्टीकारक ज्ञापन**

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	विषय
1.	07/2017-सेवा कर	अधिसूचना सं० 25/2012-सेवा कर तारीख 20 जून, 2012 का संशोधन करने के लिए है जिससे विनिर्दिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करने वाली कतिपय विद्यमान प्रविष्टियों का संशोधन किया जा सके और विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करने वाली नई प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जा सके ।